न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 118/2014/अपील

हरफूल पुत्र सुरजाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम कटराथल, तहसील व जिला सीकर।
अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील व जिला –सीकर।
2. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर (राज.)

रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः–
1. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्व निर्णय दिनांक 30.06.2014 द्वारा तहसीलदार, सीकर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 18 अक्टूबर, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतीग्रस्त निर्णय खिलाफ कानून एवं रुएदाद मिसल है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर ''प्राकृतिक न्याय का सिद्वात'' की अवहेलना करके निर्णय पारित किया है। इसलिये चुनौतीग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका (आर्डरशीट) के अवलोकन से स्पष्ट है कि–''योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से सबूत साक्ष्य एवं जबाब प्रस्तुत करने के लिये दिनांक 26.06.2014 को तारीख पेशी दिनांक 07.07.2014 को नियत की थी उसके पश्चात् अर्थात अपीलान्ट के विरुद्व विचाराधीन धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रकरण में उक्त तारीख पेशी को काटकर दिनांक 30.06.2014 नियत करके अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया जिसका योग्य अधीनस्थ तहसीलदार को क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं था। इसलिए चुनौतीग्रस्त निर्णय ''आरबीट्रेरी'' होने के कारण चुनौतीग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

(3) प्रकरण के तथ्य सक्षेंप में निम्न प्रकार से है कि–''खसरा संख्या 753 रकबा 4.82 हैक्टेयर किस्म बंजड़ जोहड़ वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर की भूमि में 0.04 हैक्टेयर भूमि पर पुख्ता निर्माण की अपीलान्ट के विरुद्व हल्का पटवारी द्वारा गांव की पार्टीबाजी से की गई शिकायत के आधार पर दिनांक 10.12.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात, अधीनस्थ तहसीलदार ने प्रकरण की धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत दिनांक 27.12.2013 को प्रकरण दर्ज किया। जिसका नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट जरिये अधिवक्ता दिनांक 25.02.2014 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली, अपीलान्ट के जबाब एवं आदेशिका में दिनांक 07.07.2014 के स्थान पर दिनांक 30.06.2014 अंकित करके अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलान्ट को सबूत साक्ष्य एवं जबाब का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जबकि पत्रावली में दिनांक 07.07.2014 नियत की गई थी।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.06.2014 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली में आगामी तारीख पेशी जबाब एवं साक्ष्य हेतु नियत की गई परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.06.2014 को निर्णय पारित कर दिया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अतिचारी द्वारा कब्जा के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया जाना अंकित किया है। जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अतिचारी द्वारा कब्जा के हक में कोई सबूत पेश नहीं किया जाना अंकित किया है जबकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने सबूत साक्ष्य एवं जबाब प्रस्तुत करने की नियत दिनांक से पूर्व ही निर्णय पारित कर दिया जो कि विरुद्व कानून होने के कारण निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जिस स्थान पर पुख्ता निर्माण किया जाने की दिनांक 10.12.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की उक्त निर्माण शुदा आवासीय परिसर अपीलान्ट के पूर्वजों की आवासीय गुवाड़ी है तथा अपीलान्ट का निर्माण 50 वर्ष से भी अधिक पुराना है अर्थात अपीलान्ट की पीढी दर पीढी आवासीय गुवाड़ी है जिसमें अपीलान्ट मय परिवार आवास निवास करता है तथा हल्का पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है कि ''अपीलान्ट का निर्माण वर्षो पूर्व का है। जिस कारण अपीलान्ट को आवासीय परिसर से बेदखल किया जाने का निर्णय न्याय संगत नहीं है। यदि अपीलान्ट का वर्षो पुराना पुख्ता निर्माण परिसर खसरा संख्या 753 की सीमा में आता है तो उक्त निर्माण शुदा आवासीय परिसर 50 वर्ष से भी अधिक पुराना होने के कारण नियमन किये जाने योग्य है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि–''हल्का पटवारी ने जो अतिक्रमण की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की उक्त रिपोर्ट खसरा संख्या 753 की सीमा निशिचित किये बिना ही प्रेषित की गई है। ना हीं सीमा तय किये जाने के

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

संबंध में पत्रावली पर साक्ष्य सरकार की ओर से आयी है नाही हल्का पटवारी की योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य लेखबद की। ना हीं योग्य अधीनस्थ तहसीलदार ने मौका की वास्तविक स्थिति की जांच की नाही मौका देखा गया तथा सरसरी तौर पर ही अपीलान्ट को बेदखल किया जाने का निर्णय पारित कर दिया। जो कि विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

(6) अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश का गरीब काश्तकार व्यक्ति है। जिसका आवासीय परिसर पैत्रिक होकर पीढी दर पीढी पुराना है। जिसमें अपीलान्ट मय परिवार आवास निवास करता है। यदि अपीलान्ट को आवासीय परिसर से बेदखल कर दिया गया तो अपीलान्ट बेघर हो जायेगा। इसलिए भी चुनौतीग्रस्त निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. बहस अपीलान्ट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपीलान्ट का निर्माण 50 वर्ष से भी अधिक पुराना है अर्थात अपीलान्ट की पीढी दर पीढी आवासीय गुवाड़ी है जिसमें अपीलान्ट मय परिवार आवास निवास करता है तथा हल्का पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है कि "अपीलान्ट का निर्माण वर्षो पूर्व का है। जिस कारण अपीलान्ट को आवासीय परिसर से बेदखल किया जाने का निर्णय न्याय संगत नहीं है। यदि अपीलान्ट का वर्षो पुराना पुख्ता निर्माण परिसर खसरा संख्या 753 की सीमा में आता है तो उक्त निर्माण शुदा आवासीय परिसर 50 वर्ष से भी अधिक पुराना होने के कारण नियमन किये जाने योग्य है। फिर भी खसरा नम्बर 753 का पुराना खसरा नम्बर एवे नक्शे से मिलान कर सीमाज्ञान करावे एवं चारागाह भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो बेदखल कर दिया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.2014 को निरस्त फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

5. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 753 रकबा 4.82 हैक्टेयर किस्म बंजड़ जोहड़ वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर की भूमि में 0.04

(स्टाम्प: न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.))

(हस्ताक्षर) (नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर भूमि पर पुख्ता निर्माण कर अनधिकृत अतिक्रमण कर कब्जा काश्त किया है। उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों से स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अपीलान्ट ने बंजड़ जोहड पर अनाधिकृत अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट द्वारा कोई साक्ष्य सबूत भी पेश नहीं किया गया है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सीकर के निर्णय दिनांक **30.06.2014** में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

6. माननीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील नम्बर 1132/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में चारागाह भूमियों/जोहड़ पायतन और तालाबों की भूमियों में से निजी एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों कों अवैध माना है।

7. अपीलान्ट द्वारा खसरा संख्या 753 रकबा 4.82 हैक्टेयर किस्म बंजड़ जोहड़ वाके ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर की भूमि में 0.04 हैक्टेयर भूमि पर पुख्ता निर्माण कर अनधिकृत अतिक्रमण किया है। अतः अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक : **15 अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner